मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-8

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 3 अगस्त, 2005 (श्रावण 12, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नों से संबंधित माननीय सदस्यों के नाम अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु पुकारे गये परन्तु संबंधित सदस्यों द्वारा कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गये)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं विपक्ष के अन्य सदस्यगण आसंदी के प्रश्नकाल को चलने देने के अनुरोध को न मानते हुए अपने-अपने आसन से अपनी बात कहते रहे तथा गर्भगृह में आकर नारेबाजी करते रहे)

(व्यवधान होने पर सदन की कार्यवाही 10.34 बजे 11.30 बजे तक के लिये स्थगित होकर 11.31 बजे पुन: प्रारम्भ हुई)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्य गर्भगृह में आकर नारे लगाते रहे)

1. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की केन्द्रीय जेल ग्वालियर में छापे के दौरान मोबाइल सिम टेलीफोन आडियो कैसेट घातक हथियार मिलने,

(2) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना सबलगढ़ मार्ग की स्थिति जर्जर होने.

(3) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की दलौदा उप मंडी को पूर्ण मंडी बनाये जाने,

(4) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), सदस्य की प्रदेश की नगर पालिकाओं नगर पंचायतों में सी.एम.ओ. पद पर अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में,

(5) श्री विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य की जिला छतरपुर में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था चौपट होने,

(6) श्री ताराचन्द्र बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले की परासिया विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा योजना प्रारंभ न किये जाने,

(7) युवराज तुकोजीराव पवार, सदस्य की राज्य विद्युत मंडल द्वारा घटिया मीटर खरीदी एवं मीटर खराब होने,

(8) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले की प्रमुख सड़कें जर्जर होने.

(9) श्री हुकुम चंद यादव, सदस्य की खंडवा नगर में अवैध कालोनियों का निर्माण होने, तथा

(10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर संभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को हटाये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 56 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4003-एफ.आर.एस-17-तेरह -2002, दिनांक 13 जून, 2005,

(2) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2768-तेरह-2005, दिनांक 20 अप्रैल, 2005,

पटल पर रखी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सहित सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यगण अपनी मांग के समर्थन में गर्भगृह में आकर नारे लगाते रहे)

(मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर ने सदस्य श्री रामलखन शर्मा को अपने आसन पर जाने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा आसंदी के विरोध में नारे लगाये जाते रहे)

3. ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य ने प्रदेश में हो रही भ्रूण हत्याओं की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रूस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री अजय सिंह, सदस्य के सुझाव से सहमत होते हुए हर मुद्दे पर चर्चा कराने का आश्वासन दिया गया परन्तु विपक्ष इस हेतु तैयार नही हुआ)

(आसंदी द्वारा कार्यसूची के अन्य विषय लिये जाने पर सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय के विरूद्ध गर्भगृह में आकर नारेबाजी की जाती रही)

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वश्री के.पी.सिंह (कक्काजू), राजनारायण सिंह पुरनी, रामनिवास रावत, सदस्य के "शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत बाण्डा के दो निवासियों की हत्या होने" संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़े जाने हेतु नाम पुकारे गये परंतु व्यवधान होने के कारण संबंधित सदस्यों द्वारा सूचना नहीं पढ़ी गई)

(सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय से मांफी मांगे के नारे गर्भगृह से लगाए गए)

(अध्यक्ष महोदय द्वारा आसंदी से निर्देश दिया गया कि विपक्ष का सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग न देना एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है इस पर विपक्ष को आसंदी से मांफी मांगना चाहिए)

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार-

(1) लोक लेखा समिति का 100 वां से 140 वां प्रतिवेदन,

(2) प्राक्कलन समिति का षष्टम् प्रतिवेदन,

(3) याचिका समिति का द्वितीय प्रतिवेदन,

(4) शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन,

(5) पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन, तथा

(6) प्रश्न एवं संदर्भ समिति का द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन,

सदन में प्रस्तुत हुए माने गये ।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार-

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल जिले के -

(क) उत्तर विधान सभा क्षेत्र में नये पार्क बनाये जाने,

(ख) वार्ड क्र.5 खानूगांव में माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम सूखी सेवनिया में पानी, बिजली, सड़क आदि की व्यवस्था कराये जाने,

(घ) अन्त्योदय नगर से ऐशबाग स्टेडियम तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ङ) वार्ड क्र.-17 की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने,

(2) श्री अमर सिंह कोठार, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) सारंगपुर नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने,

(ख) सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं का कार्य आरंभ कराये जाने,

(ग) ग्राम गुलावता से खुजनेर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,

(घ) ब्यावरा मंडी से चांदनी तक सड़क बनाये जाने,

(ङ) चाकरोद व तितरी स्टाप डेम का कार्य पूर्ण कराये जाने, तथा

(च) चौमा रोड-गिन्दोली-सरसखेड़ी-वारवाखर्रम मार्ग का कार्य पूर्ण कराये जाने,

(3) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के-

(क) ग्राम बोहनाखेरी से बोहनाढ़ाना के मध्य सड़क का उन्नयन एवं पुलिया बनाये जाने,

(ख) चौरई-हीवरखेडी मुख्यमार्ग से बारहबरयारी तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,

(ग) छिन्दवाड़ा-सिवनी मुख्यमार्ग से राजलवाड़ी तक सड़क का उन्नयन एवं पुलिया बनाये जाने,

(घ) ग्राम लिखड़ी से बाम्हनवाड़ा तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,

(ङ) ग्राम मड़ई से बगदरी तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,

(च) ग्राम कपुर्दा में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(छ) ग्राम बंधी एवं टिगरा के मध्य पेंच नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(ज) ग्राम समसवाड़ा में सड़क मार्ग का उन्नयन कराये जाने,

(झ) ग्राम सीरस से पिपरिया खाती तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,

(ञ) ग्राम टिघरा-विशाल के बड़ा ढाना नाले पर जलाशय का निर्माण कराये जाने,

(ट) चौरई नगर में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन बनाये जाने,

(ठ) ग्राम बाड़ीबाड़ा से पांजरा तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,

(ड) ग्राम सालयीछिंद से माताखेरी के मध्य जलाशय का निर्माण कराये जाने,

(ढ) ग्राम सालयीछिंद से नीलकंठ कलां के मध्य सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,

(ण) ग्राम सिरस से छिन्दवाड़ा-सिवनी तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,

(त) ग्राम बम्हनीलाला से धमनिया के मध्य पुलिया निर्माण कराये जाने,

(थ) ग्राम सिंगौड़ी से पिपरिया खाती के मध्य नाला पर पुलिया बनाये जाने,

(द) ग्राम भुतेरा से बम्होड़ी पण्डा से ककई के मध्य पुलिया बनाये जाने,

(ध) ग्राम पटिया में निस्तारी तालाब बनाये जाने,

(न) छिन्दवाड़ा-सिवनी मुख्य मार्ग से जमुनिया तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,

(प) ग्राम लोनीबर्रा से नांदना के मध्य रामाटोला स्थल पर तालाब निर्माण कराये जाने, तथा

(फ) ग्राम समसवाड़ा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने,

(4) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) परासिया नगर में बस स्टेण्ड बनाये जाने,

(ख) ग्राम भाजीपानी से चरई कला तक सड़क बनाये जाने,

(ग) न्यूटन नगर से चॉदामेटा के मध्य सड़क पर पुलिया बनाये जाने, तथा

(घ) खिरसाडोह से बड़कुही तक बायपास रोड बनाये जाने,

(5) श्री शिवप्रसाद राठौर, सदस्य की बैतूल जिले के -

(क) ग्राम कुम्हारया, खेड़ली, सूरगांव में हाई स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम चांदबेड़ा, सिल्लोट, हीवरखेड़ी, अर्जुन नगर गोधीजूनावानी, सोनाघाटी में हाई स्कूल खोले जाने,

(ग) ग्राम कुम्हारया, सूरगांव,खेलड़ी,खनाराकिला,माधनी तथा खेड़ीसावरीगढ़ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,तथा

(घ) ग्राम कोदारोटी, हिवरखेड़ी, मालेगांव, आमला, बासनेरकला में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(6) श्री जयराम सिंह मार्को, सदस्य की शहडोल जिले के -

(क) ग्राम गोहपारू स्थित स्वास्थ्य केन्द्र हेतु एम्बुलेंस उपलब्ध कराये जाने,
(ख) ग्राम सुड़वार से गोहपारू तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,
(ग) ग्राम ओढ़की से गोहपारू तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,
(घ) ग्राम वाही से खैरहनी तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,
(ङ) ग्राम खोलका से बुढ़नवाह तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने,
(च) ग्राम खाम्हा से सुड़वार तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने, तथा
(छ) ग्राम सुड़वार स्थित प्राथमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(7) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की शाजापुर जिले के-

(क) अकोदिया मंडी को तहसील एवं विकास खंड का दर्जा दिलाये जाने, तथा
(ख) सीहोर जिले के ग्राम नई चंदरी में पुलिस चौकी खोले जाने,

(8) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य की शिवपुरी जिले के-

(क) ग्राम गुरुकुदवाला के पास मडहर नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(ख) ग्राम गुरुकुदवाला में जौरा घाट पर तालाब बनाये जाने,
(ग) पोहरी बायपास रोड पर ओव्हर हेड टैंक बनाये जाने, तथा
(घ) शिवपुरी नगर के नवग्रह मंदिर के पास ओव्हर हेड टैंक बनाये जाने,

(9) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा), सदस्य की बालाघाट जिले के-

(क) ग्राम झाड़गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ख) मेढ़की-लिंगमारा-दीनी सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम मेढ़की में उच्चतर माध्यमिक शाला का भवन बनाये जाने,
(घ) ग्राम वकेरा में नलजल योजना प्रारंभ कराये जाने, तथा
(ङ) वारासिवनी-खंडवा मार्ग के चेन नदी पर पुलिया बनाये जाने,

(10) श्री विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य की छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम कतरवारा व ललौनी मार्ग के मध्य नाला पर स्टापडेम-कम-रपटा बनाये जाने,
(ख) ग्राम मजोटा, रनगुवां, दोपारिया, बाहरपुरा, पाटन, बरवसपुरा, टपरिया, टोरिया आदि के किसानों को आवास निर्माण हेतु अनुदान दिलाये जाने,
(ग) ग्राम छापर से कुंवरपुरा तक सड़क बनाये जाने,
(घ) केन घडियाल अभ्यारण्य बैरियर से टोरिया तक सड़क बनाये जाने,
(ङ) ग्राम धवाड़ फूडरनाला पर स्टापडेम-कम-रपटा बनाये जाने, तथा
(च) ग्राम कर्री से कदारी तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(11) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की मंदसौर जिले के -

(क) ग्राम नगरी से धमनार तक सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम अफजलपुर से मंदसौर-सीतामऊ मुख्यमार्ग तक सड़क एवं पुलिया बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम धुधड़का स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों की पदस्थापना कराये जाने,

(12) श्री रामदास उइके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम देवगढ़ से गोविन्दवारी तक सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम डोगरखापा से चारगांव तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम मुजावर पूर्वी रैयतवाड़ी से अपतरा तक सड़क बनाये जाने,

(घ) ग्राम खिड़की केनरी से बेलगांव माल तक सड़क बनाये जाने,

(ङ) ग्राम बोमल्या में माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराये जाने,

(च) ग्राम पर्वत घोघरी से उपरडोह तक सड़क बनाये जाने,

(छ) ग्राम कटकुही में माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराये जाने,

(ज) ग्राम छाबड़ी ढ़ाना के पास नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(झ) ग्राम खेरवाड़ा से बाड़ाबोह तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(ञ) करला मुख्य मार्ग से पौनार तक सड़क बनाये जाने,

(ट) ग्राम मैनीखापा में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(ठ) ग्राम कोहट के पास नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(ड) ग्राम सिमरिया के कठोतिया तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ञ) ग्राम घाघरा के पास नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(13) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) ग्राम बधपुरा में कटाव रुकवाये जाने,

(ख) ग्राम पक्कापुरा में बीहड़ का कटाव रुकवाये जाने,

(ग) ग्राम हॉसई से मेवदा तक सड़क बनाये जाने, तथा

(घ) ग्राम विण्डवा क्वारी में पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने,

(14) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की सतना जिले के ग्राम हिनौती, लोनियान टोला में हैंडपंप लगाये जाने,

(15) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की खण्डवा जिले के -

(क) ग्राम मोहना के पास नदियों पर पुल बनाये जाने,

(ख) मुन्दी-पुनासा-सनावद मार्ग के अजनाल नदी पर पुल बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम कोलगांव से मुंदी एवं ग्राम भोजाखेड़ी से फिफराड़ तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(16) श्री नानाभाऊ मोहोड़, सदस्य की मंडला जिले के मंडला से पिंडरई तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(17) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) जामघाट सिंचाई तथा विद्युत परियोजना की स्वीकृति दिलाये जाने,

(ख) पाण्ढुर्णा नगर में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा वन विभाग का अनुविभागीय कार्यालय स्थापित कराये जाने,

(ग) ग्राम काराघाट, कामठी, पाठई, कुण्डाली तथा पाण्ढुर्णा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(घ) ग्राम तीगांव, अम्बाड़ा, लिंगा एवं नांदनवाड़ी स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम मोरडोंगरी-मोहगांव के मध्य नदी पर पुलियों का निर्माण कराये जाने,संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई.

6. वक्तव्य

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने दिनांक 27 जुलाई, 2005 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 793) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आज दिनांक 3 अगस्त, 2005 को सम्पन्न हुई,जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	**शासकीय विधेयक/ अन्य कार्य**	**निर्धारित समय**
(1)	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 19 सन् 2005)	30 मिनट
(2)	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक,2005 (क्रमांक 20 सन् 2005)	30 मिनट
(3)	मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 21 सन् 2005)	1 घंटा
(4)	प्रदेश में फैल रहे संक्रामक रोगों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आरिफ अकील,डॉ. गोविन्द सिंह,श्री सज्जन सिंह वर्मा तथा श्री सत्यदेव कटारे, सदस्यों की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा।	1 घंटा 30 मिनट

(5) प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री रामलखन शर्मा,सदस्यों की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा। 1 घंटा 30 मिनट

(6) प्रदेश में निर्मित सिंचाई बांधों के अत्यधिक पुराने होने के कारण उनके फूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सत्यदेव कटारे तथा पंडित हरिचरण तिवारी, सदस्यों की नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा. 45 मिनट

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य एवं संसदीय कार्य ने प्रस्ताव किया कि-

अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि उन्होंने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन विधेयक, 2005 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2005, मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधयेक, 2005 तथा मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक,2005 की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए नियमावली के नियम 65 के प्रथम परन्तुक तथा स्थायी आदेश की कंडिका 24 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही सदन में पुरःस्थापित करने तथा उन पर विचार किये जाने की अनुमति प्रदान की है.

मै समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(विपक्ष द्वारा अध्यक्ष माफी मांगे के नारे लगाए जाने की बात गर्भगृह से की जाती रही)

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005),

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 19 सन् 2005),

(3) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 20 सन् 2005), तथा

(4) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 21 सन् 2005),
सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किये।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत विषयों पर चर्चा कराने हेतु अपने कक्ष में विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया गया तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 11.46 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित होकर 12.15 बजे पुनः समवेत हुई)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा गर्भगृह से आसंदी के विरोध में नारे लगाये जाते रहे)

(5) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 15 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश(संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 19 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 9 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश(संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 19 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 20 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 20 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(8) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 21 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 9 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 21 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

10. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-47 मलेहरा से निर्वाचित सदस्य सुश्री उमाभारती को जुलाई-अगस्त 2005 सत्र की बैठक से सदन की अनुमति से अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्रदान की गई ।

11. विशेषाधिकार भंग की सूचनाएँ

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके पास मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम -164 के अधीन श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की तीन सूचनाएं प्राप्त हुई है. जिनमें प्रथम सूचना श्री लालसिंह आर्य, श्री छत्रपति सिंह, श्री जुगुल किशोर बागरी, श्री बंशीलाल एवं श्रीमती संध्या सुमन राय, सदस्यों की है।

दूसरी सूचना श्री बृजेन्द्र तिवारी, श्री गजराज सिंह सिकरवार,श्री छत्रपति सिंह,श्री राजेश यादव, एवं श्रीमती रंजना बघेल,सदस्यों की है तथा तीसरी सचना श्री गिरिजा शंकर शर्मा,श्री गोविन्द सिंह,श्री राजेन्द सिंह, श्री जालम सिंह, श्री संजय शर्मा, श्री शंकरलाल तिवारी तथा श्री हाकम सिंह चड़ार की है।

यह सूचनाएं उनके समक्ष विचाराधीन है।

(सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा गर्भगृह से आसंदी के विरोध में नारे लगाये जाते रहे)

12. राष्ट्रगान

सदन में राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का गायन सम्पन्न हुआ

व्यवधान होने के कारण 12.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.